E-Mail

पत्रांक–14/नि.2-04/2018 861

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

अवर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र–2, कम्यूनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, विकास मार्ग,
नई दिल्ली–110092

राँची, दिनांक 23.03.2018

विषयः– **जेनेट एकेडमी, हेसालौंग, मैक्लुस्कीगंज, राँची को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **निदेशालयीय पत्रांक–1103 दिनांक 20.07.2015 एवं आपका पत्रांक–SI-00329-1819 दिनांक 26.02.2018**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले निजी विद्यालयों को जाँचोपरान्त गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ही निर्गत किया जाता है। किसी भी निजी शिक्षण संस्थान/निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के अतिरिक्त प्रस्वीकृति/सम्बद्धता से संबंधित कोई आदेश निर्गत नहीं किया जाता है।

उक्त के संदर्भ में कहना है कि निदेशालयीय पत्रांक–1103 दिनांक 20.07.2015 द्वारा जेनेट एकेडमी, हेसालौंग, मैक्लुस्कीगंज, राँची को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के पत्रांक–SI-00329-1819 दिनांक 26.02.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

23/3/18

अवर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–14/नि.2-04/2018 861 /

राँची, दिनांक 23-03-2018

प्रतिलिपिः–श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा, विधायक आवास संख्या–156, 157 एवं 158 धुर्वा, राँची को भवदीय पत्रांक–57/18 दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में सादर सूचनार्थ प्रेषित/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23/3/18

अवर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची।

CHAIRMAN
JANET ACADEMY
HESALONG (McCLUSKIEGANJ)
(829208) JHARKHAND

Ranjit K. Singh
PRINCIPAL
JANET ACADEMY
HESALONG (McCLUSKIEGANJ)
(829208) JHARKHAND